पवन कुमार पाण्डेय
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना

दूरभाष : 2217840(कार्यालय)
फैक्स : 0612-2232212

पत्र संख्या- कार्य०का०सू०-13/2022- 270 /वि०स०। 02/02/2023

प्रिय ....

सप्तदश बिहार विधान सभा का सप्तम् सत्र कार्यक्रमानुसार दिनांक-13 दिसम्बर, 2022 से प्रारम्भ हुआ और दिनांक-19 दिसम्बर, 2022 को सभा की बैठक के उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया । सप्तम् सत्र में कुल पाँच (05) बैठकें संपन्न हुईं ।

अध्यक्ष का प्रारम्भिक संबोधन

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सप्तदश बिहार विधान सभा के सप्तम् सत्र के शुभारंभ के अवसर पर माननीय सदस्यों का अभिनन्दन करते हुए उल्लेख किया गया कि वर्त्तमान सत्र के दौरान कुल पाँच बैठकें निर्धारित हैं, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के व्यवस्थापन के लिए एक दिन, राजकीय विधेयक के लिए दो दिन एवं गैर सरकारी संकल्प के लिए एक निर्धारित है । माननीय सदस्यगण, इस आसन पर बैठकर मैं कोई नई बात नहीं करने जा रहा हूँ । आप सबों ने मिलकर मुझे इस आसन पर बिठाया है, मेरा प्रयास रहेगा कि सदन अपने मकसद में कामयाब हो । यह स्थान विचार-विमर्श का है । जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुँचाने का है और सरकार का दायित्व है कि पूरी जवाबदेही के साथ उन समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करें और सदन को आश्वस्त करें । यही इस संसदीय व्यवस्था की खूबसूरती है ।

राजनीतिक कार्यकलाप में सहभागिता लोकतंत्र का मूल तत्व है । यह एक ऐसी उत्तम व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्ति को समान अधिकार होता है । एक अच्छा लोकतंत्र वह है जिसमें राजनैतिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था के साथ-साथ सामाजिक न्याय की भी व्यवस्था सुनिश्चित होती है । लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और जन सरोकार से संबंधित समस्याओं का सभी सदस्यों द्वारा सदन में उठाया जाना एक सतत् प्रक्रिया है । हम सब जन प्रतिनिधियों का एक पक्ष तो यह है कि हम आम जन की समस्याओं को सदन के माध्यम से सरकार तक पहुँचाने का काम करते हैं वहीं दूसरा पक्ष यह है कि हम जनता के हितों के लिए राज्य के हितों के लिए कानून बनाकर नीति का निर्धारण भी करते है । हमें अपने दोनों कर्त्तव्यों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील रहने की आवश्यकता है ।

यह सदन अपने अंदर कई महत्वपूर्ण यादों को संजोये रखा है । इसकी पुरानी कार्यवाहियाँ वर्त्तमान और भविष्य के लिए नाजीर हैं । हम आज जो यहाँ अपने को अभिव्यक्त करेंगे कल वहीं इतिहास बनेगा । इसलिए आपसे विनम्र अनुरोध है कि सदन के समय का राज्य की आम जनता के हित में उपयोग करें । मुझे पूर्ण विश्वास है कि सदन के संचालन में आप सबों का पूर्ण सहयोग मुझे प्राप्त होगा ।

अध्यादेश

वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा ''बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2022 की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।

अनुमत विधेयक

दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 को महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत निम्न एक विधेयक के विवरण को सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखा गया :-

महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत विधेयक

(1) बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2022

वित्तीय कार्य

दिनांक-13 दिसम्बर, 2022 को वित्त मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन किया गया तथा दिनांक-16 दिसम्बर, 2022 को द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद एवं सरकार के उत्तर के पश्चात सभा द्वारा स्वीकृत हुआ एवं शेष माँगे गिलोटिन (मुखबंध) द्वारा स्वीकृत किये गये, तदुपरान्त बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2022 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ ।

दिनांक-14 दिसम्बर, 2022 को वित्त मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा वित्तीय वर्ष 1989-90 के अधिकाई व्यय का विवरण उपस्थापित किया गया तथा दिनांक-15 दिसम्बर, 2022 को वित्तीय वर्ष 1989-90 के अधिकाई व्यय में सम्मिलित अनुदान की माँग स्वीकृत किये गये, तदुपरान्त बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1989-90) विधेयक, 2022 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ ।

शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कुढ़नी बिहार विधान सभा क्षेत्र संख्या-93 के उप निर्वाचन में निर्वाचित सदस्य श्री केदार प्रसाद गुप्ता द्वारा शपथ ग्रहण किया गया ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

1. पथ निर्माण विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के तहत् बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2018-19 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
2. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष 2018-19 के ''स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन'' एवं 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष 2020-21 के प्रतिवेदन ''राजस्व प्रक्षेत्र'', ''बिहार में सतही सिंचाई परियोजनाओं के परिणामों पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन'', ''खनिज प्राप्तियों के मूल्यांकन और संग्रहण में प्रणालियों और नियंत्रणों पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन'' तथा ''निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन'' को महामहिम राज्यपाल, बिहार की अनुमति के आलोक में एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी । ।
3. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्ताव किया गया कि ''भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष 2018-19 के ''स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन'' एवं 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष 2020-21 के प्रतिवेदन ''राजस्व प्रक्षेत्र'', ''बिहार में सतही सिंचाई परियोजनाओं के परिणामों पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन'', ''खनिज प्राप्तियों के मूल्यांकन और संग्रहण में प्रणालियों और नियंत्रणों पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन'' तथा ''निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन'' को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो'' ।
4. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम-2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के उपलब्धि प्रतिवेदन पुस्तिका की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
5. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम-2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के ग्रीन बजट पुस्तिका की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
6. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 की धारा-13 के तहत बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियमावली, 2022 की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।

7. संसदीय कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2006 की धारा-8(3) के तहत् बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2022 से संबंधित अधिसूचना संख्या-776, 777, दिनांक-30.09.22 तथा अधिसूचना संख्या-864, दिनांक-09.11.22 एवं अधिसूचना संख्या-1019, दिनांक-09.12.22 का हिन्दी एवं अंग्रेजी की एक-एक की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।

8. योजना एवं विकास विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार स्थानीय क्षेत्र अवर अभियंत्रण (असैनिक) संवर्ग भर्ती नियमावली, 2018 (अधिसूचना संख्या-1226, दिनांक-12.03.2018) एवं बिहार सांख्यिकी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2021 (अधिसूचना संख्या-4360 दिनांक-13.12.2021) की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।

9. खान एवं भूतत्व विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा "बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019" के नियम-90 के तहत अधिसूचना संख्या-4352/एम, दिनांक-30.08.22 की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।

10. विधि विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 की धारा-18(6) के तहत बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार का वित्तीय वर्ष 2019-20 का वार्षिक लेखा की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।

विधायी कार्य

सदन द्वारा सत्र के दौरान निम्नलिखित विधेयकों का पुर:स्थापन, विचारण एवं पारण किया गया ।

1. बिहार विशेष न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022
2. बिहार लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2022
3. बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022
4. बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1989-90) विधेयक, 2022
5. बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2022
6. बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022
7. बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2022

याचिका

इस सत्र में कुल 109 याचिकाएँ प्राप्त हुए जिनमें से 100 स्वीकृत हुए तथा 09 अस्वीकृत हुआ ।

निवेदन

इस सत्र में कुल 136 निवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 132 निवेदन स्वीकृत हुए तथा 04 अस्वीकृत हुए । स्वीकृत निवेदनों को सभा की सहमति के पश्चात संबंधित विभागों को भेज दिया गया ।

प्रश्न

इस सत्र के दौरान कुल 843 प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त हुई, जिनमें से 678 प्रश्न स्वीकृत हुये । स्वीकृत 678 प्रश्नों में कुल 30 अल्पसूचित प्रश्न थे जिनमें 26 के उत्तर प्राप्त हुए । 543 तारांकित प्रश्न स्वीकृत हुए जिनमें 522 के उत्तर प्राप्त हुए, साथ ही 105 प्रश्न अतारांकित हुए ।

ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय सदस्यों द्वारा कुल 96 ध्यानाकर्षण सूचनायें दी गयी जिसमें से 08 ध्यानाकर्षण सूचनायें सदन में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयी तथा 81 ध्यानाकर्षण सूचनायें लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेज दिया गया एवं 07 ध्यानाकर्षण सूचनायें अमान्य हुए ।

शून्यकाल

शून्यकाल के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा लोकहित के विभिन्न विषयों को उठाया गया ।

गैर सरकारी संकल्प

इस सत्र में कुल 103 गैर सरकारी संकल्प की सूचनाएँ प्राप्त हुए जिनमें से 100 सूचनाएँ स्वीकृत तथा 03 अस्वीकृत हुए । स्वीकृत गैर सरकारी संकल्प की सूचनाओं में से 58 सूचनाएँ सदन में वापस लिये गये तथा 42 सूचनाएँ अपृष्ठ हुये ।

शोक प्रकाश

इस सत्र में निम्नलिखित माननीय सदस्यों, कतिपय जननायकों के निधन पर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए एक मिनट का मौन रखा गया तथा सदन की ओर से शोक संतृप्त परिवार के पास संदेश भेजा गया :-

1. स्वर्गीय सुभाष सिंह, मंत्री, बिहार सरकार एवं पूर्व स०वि०स०
2. स्वर्गीय धनिक लाल मंडल, पूर्व अध्यक्ष, बिहार विधान सभा, पूर्व सांसद एवं पूर्व राज्यपाल
3. स्वर्गीय नरेन्द्र सिंह, पूर्व स०वि०स० एवं पूर्व स०वि०प०
4. स्वर्गीय रमई राम, पूर्व मंत्री, बिहार सरकार एवं पूर्व स०वि०स०
5. स्वर्गीय शमशेर जंग बहादुर सिंह, पूर्व मंत्री, बिहार सरकार एवं पूर्व स०वि०स०
6. स्वर्गीय चन्द्रबली ठाकुर, पूर्व स०वि०स०
7. स्वर्गीय उदय नारायण राय उर्फ भोला राय, पूर्व मंत्री, बिहार सरकार, पूर्व स०वि०स० एवं स०वि०प०
8. स्वर्गीय सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, पूर्व स०वि०स०
9. स्वर्गीय पार्वती देवी, पूर्व स०वि०स०
10. स्वर्गीय मो० शकूर, पूर्व स०वि०स०
11. स्वर्गीय रूप नारायण झा, पूर्व मंत्री, बिहार सरकार एवं पूर्व स०वि०स०
12. स्वर्गीय केदार नाथ पाण्डेय, पूर्व स०वि०प०
13. स्वर्गीय सुशीला कपूर, पूर्व स०वि०स०
14. स्वर्गीय डॉ० सबा अहमद, पूर्व मंत्री, बिहार सरकार एवं पूर्व स०वि०स०
15. स्वर्गीय राज किशोर प्रसाद, पूर्व स०वि०प०
16. स्वर्गीय रजनीश आनन्द, पूर्व स०वि०स०
17. स्वर्गीय समरेश सिंह, पूर्व स०वि०स०

दिनांक 19 दिसम्बर, 2021 को निर्धारित कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी, जिसके उपरांत महामहिम राज्यपाल द्वारा बिहार विधान सभा का सत्रावसान किया गया ।

सधन्यवाद

सेवा में,

....

....

....

आपका विश्वासी

17/1/23

(पवन कुमार पाण्डेय)
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।